308

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 326/262/2020/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 12/05/2020

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर, मध्यप्रदेश
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषयः राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार/जांच हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.09.2019 के कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णय अनुसार।

******

राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि हेतु दिनांक 26.09.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गए हैं:-

1. मान्यता वृद्धि के प्रकरणों में रोगी कल्याण समिति में जमा निर्धारित राशि रूपये 25000/- वर्ष में एक बार ही ली जावेगी, इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी किये जाने होगें उसके पश्चात् ही प्रशासकीय शासन आदेश तिथि से एक वर्ष के लिये रसीद की अवधि मान्य होगी।
2. कैंसर रोग के जांच/उपचार हेतु निजी चिकित्सालय के NABH Scope of Service में Medical Oncology, Surgical Oncology And Radiation का उल्लेख होना चाहियें। पूर्व की भांति उपरोक्त तीनों विधाओं का उल्लेख NABH Scope of Service में होने एवं निजी चिकित्सालय में तीसरी विधा का सुविधा न होने की स्थिति में किसी अन्य निजी चिकित्सालय से अनुबंध (MOU) करने के उपरांत ही कैंसर रोग जॉच/उपचार की मान्यता पर विचार किया जावेगा।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.................

Section3-2020/Nisha Medam/Seat-2/66

16 March 2020

क्रमांक 327/296/2020/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 12/05/2020

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.02 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर उनके परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.। (कृपया वेबसाईट पर अपलोड करावें)
4. संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11. गार्ड फाईल ।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
14 MAY 2020
883
आवक क्र.........

D.I (M.R)
14.05.20

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग